


॥ कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ॥  
कमांक:-भ्रनिब्यूरो/विधि/7/2011/638-39 दिनांक:-14-3-01

:- परिपत्र :-

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में लोक सेवकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज होने पर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष को निम्न स्तरों पर सूचना दी जावे :-


1. एफ. आई. आर. दर्ज होने पर।
2. चालान/अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश करने पर।
3. न्यायालय निर्णय होने पर (दोषसिद्धि का निर्णय हो तो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 31.12.1996 के अनुरूप कार्यवाही बाबत)
4. निर्णय के उपरान्त अपील की गई हो तो उसकी सूचना एवं अपील नहीं की गई तो उसकी सूचना।
5. अपील निर्णय की सूचना एवं अपील उपरान्त कोई एस.एल.पी. या अन्य कोई अपील की गई है तो उसकी सूचना।

बिन्दु संख्या 1 से 2 तक की सूचना अपराध शाखा एवं बिन्दु संख्या 3 से 5 तक की सूचना विधि शाखा द्वारा दी जावेगी।

  
महानिदेशक,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अ.शा., जयपुर।
2. उप निदेशक अभियोजन, भ्र0 नि0 ब्यूरो, विधि शाखा, जयपुर।

  
महानिदेशक,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,  
राजस्थान, जयपुर।